वित्तीय स्वीकृति

संख्या-118/2015/1376/एक-5-2015-136/2010

प्रेषक,

मनिराम सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 20 नवम्बर, 2015**

विषयः-नवसृजित जनपद अमेठी में जनपद मुख्यालय के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अर्जित भूमि हेतु प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, अमेठी के पत्रांक-489/एल0ए0सी0/2015, दिनांक 06 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नवसृजित जनपद अमेठी में जनपद मुख्यालय के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-2072/एक-5-2010-136/2010, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 के द्वारा रू0 174.15 लाख तथा शासनादेश संख्या-203/एक-5-2013-136/2010, दिनांक 31 मार्च, 2013 के द्वारा 173.12 लाख तथा शासनादेश संख्या- 379 एक-5-2014-136/2010, दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास नीति 2003 के तहत वितरित किये जाने/प्रतिकर भुगतान हेतु रू0 3,68,71,632.00 अर्थात कुल रू0 715.98632 लाख की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में अवशेष प्रतिकर के भुगतान हेतु रू0 461.65 लाख (रूपये चार करोड़ इक्सठ लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष सहमति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि नियमानुसार आहरित कर जिलाधिकारी, अमेठी को तत्काल उपलब्ध करा दी जायेगी। स्वीकृति धनराशि का व्यय भूमि अर्जन हेतु तत्सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त शासन को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु व्यय किया जायेगा।

(2) उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी, अमेठी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिकर की निर्गत की जा रही पूर्ण धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करेंगे तथा इस धनराशि को जिले स्तर पर

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी के निवर्तन पर अधिक समय तक नहीं रखा जायेगा। इस धनराशि का भुगतान निर्धारित धाराओं की कार्यवाही के साथ नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी । वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) शासनादेश संख्या-379/एक-5-2014-136/2010, दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास नीति 2003 के तहत वितरित किये जाने हेतु प्रतिकर भुगतान हेतु रू0 3,68,71,632.00 की धनराशि, जो बिना शासन के अनुमति के पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में रखी गयी है, को पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में रखकर व्यय किय जाने के कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है, कि इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी व कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला रू0 461.65 लाख (रूपये चार करोड़ इक्सठ लाख पैसठ हजार मात्र) का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/ तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1322/दस-2015,दिनांक 16 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-1375(1)/एक-5-2015-136/2010, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, अमेठी।
(4) आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) राजस्व अनुभाग-6

(9) गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in